संख्या-252/14-5-2008

प्रेषक :

के. प्रवीन राव,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

वन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 के प्राविधानों के अनुसार वन उपज से प्राप्त आय का विभाजन।

महोदय,

संयुक्त वन प्रबन्ध व्यवस्था से राजकीय वनों के प्रबन्धन में ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 प्रख्यापित की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या-312/पी.ए./36-टी-84 दिनांक 17-1-2008 के क्रम में उक्त नियमावली के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) उ.प्र. ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली-2002 को राजकीय वन क्षेत्र के अन्तर्गत लागू करने हेतु सीमाओं को चिन्हांकित करते हुए ग्राम वन को गठित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को अधिकृत किया जाता है। इस गठन के बाद से वन उपज की हिस्सेदारी प्रारम्भ कर दी जाय। तदोपरान्त् ग्राम वन के गठन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) विभिन्न योजनाओं यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य श्रोतों से वित्त पोषण के अन्तर्गत गठित विभिन्न संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों पर उक्त

P.T.O

नियमावलियों के प्राविधान उस सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक गठित समिति का कार्य क्षेत्र ग्राम वन के अन्तर्गत आता है।

(3) नियमावली के नियम 19 में संयुक्त वन प्रबन्ध क्षेत्रों से वन उपज के विदोहन एवं वन उपज से प्राप्त होने वाली आय को ग्राम समुदाय एवं वन विभाग के मध्य बंटवारे हेतु स्पष्ट प्राविधान किये गये हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। क्रियान्वयन प्रक्रिया संलग्नक में वर्णित है।

(4) वन उपज के विदोहन एवं बंटवारे के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा ग्राम वन घोषित होने के पश्चात् संयुक्त वन प्रबन्ध समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी के मध्य अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने की तिथि से ही संयुक्त वन प्रबन्ध समिति को वन उपज के विदोहन एवं उससे प्राप्त होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भवदीय,

(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-252(1)/14-5-2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उ. प्र., लखनऊ।
(2) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ.प्र., लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(के. प्रवीन राव)
विशेष कार्याधिकारी